न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नसीराबाद

—00—

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2019

—00—

गुलाबी पत्नि नौरत आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र पौत्र उरजा जाति माली
2. लाडा पुत्री रामचन्द्र पौत्री उरजा जाति माली
3. कानी पुत्री रामचन्द्र पौत्री उरजा जाति माली
4. कंचन पुत्री रामचन्द्र पौत्र उरजा जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

6. कालू पुत्र ज्वारा जाति माली
7. प्रकाश पुत्र जोधराज जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)

परफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर,

माननीय न्यायालय प्रार्थी की ओर निम्न निवेदन है कि :—

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद इन्द्राज दूरूस्ती खातेदारी का पूर्व में प्रस्तुत किया गया है जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-4-19 में नियत है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया के ससुर रामचन्द्र एवं परिवार की खातेदारी/काश्तकारी भूमि वाकै मौजा ग्राम रामसर पटवार क्षेत्र रामसर भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में स्थित आस्थित हैं जिसका वर्णन चौसाला जमाबंदी एंव वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार निम्न प्रकार है:

प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.15 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested

चौसाला जमाबंदी ख.न पुराना	रकबा	वर्किंग जमाबंदी खसरा नं. नवीन	रकबा	आधार जमाबंदी ख.नं. हाल	रकबा
639	0—12—0	792	0—12—0	1375	0.10
3742	1—14—10	3953	1—14—0	3109	0.28
3744	0—5—0	3954	0—5—0	3106	0.18
3745	1—14—10	3956	0—14—0	3105 3106	0.10 0.05
3747	1—9—0	3958	1—9—0	3112	0.24
3815	0—19—0	4026	0—19—0	5376	0.15

उपरोक्त आराजियात चौसाला खसरा नम्बर 639 रकवा 1—12—0, 3742 रकबा 1—14—10, 3744 रकबा 0—5—0, 3745 रकबा 1—14—10, 3747 रकबा 1—9—0, 3815 रकवा 0—19—0 कुल रकबा 6—14—0 के खातेदार कल्याण वल्द नन्दा 1 हिस्सा रामचन्द्र वल्द उरजा 1 हि. रायचन्द पुत्र नाथू 1 हिस्सा दर्ज है तथा सभी खाातेदारान की मृत्यु हो गयी जिसमें रामचन्द्र वल्द उरजा की मृत्यु होने से उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है जिनका 1 हिस्सा निहित है तथा खातेदार कल्याण पुत्र नन्दा की मृत्यु हो गयी एंव रायचन्द पुत्र नाथू की मृत्यु हो गयी के वारिस प्रार्थीया के पति नौरत एवं जवारा व जोधाराज तीन वारिस हुऐ जिनमें जवारा की मृत्यु हो गयी का वारिस परफोर्मा अप्रार्थी संख्या 6 कालू है तथा जोधराज की मृत्यु हो गयी का वारिस परफोर्मा अप्रार्थी संख्या 7 है जिसका उपरोक्त आराजीयात में 2 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया के पति नौरस की मृत्यु हो गयी के वारिसान एंव प्रार्थीया गुलाबी पत्नि राजू ग्यारसीलाल मंगलचन्द पुत्रगण व कमला पुत्री हुऐ एवं परफोर्मा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 भूमि पर अपने हिस्से पर पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आज भी मौक पर प्रार्थीया एवं उसके परिवार का कब्जा व अधिपत्य है। वजह सबूत चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी की नकल संलग्न है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात चौसाला खसरा नम्बर 639 रकबा 1—12—0, 3742 रकबा 1—14—10,

गुलाबी

प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.15 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

1 हिस्सा दर्ज है की भूमि को वर्किंग जमाबंदी में बने नये खसरा नम्बर 792 रकबा 0–12–0, 3953 रकबा 1–14–10, 3954 रकबा 0–5–0, 3956 रकबा 1–14–0, 3958 रकबा 1–9–0, 4026 रकबा 0–19–0 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.10, 3109 रकाब 0.28, 3106 रकबा 0.18, 3105 रकबा 0.10, 3112 रकबा 0.24, 5376 रकबा 0.15 में प्रार्थीया को उनके हक हिस्से की भूमि से महरूम नही करें तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं बय्, बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नही करें तथा किसी प्रकार की विघ्न बाधा एंव नुकसान कारित नही करें एवं नही किसी अन्य से करवाये के लिऐ व्यादेश के आदेश पारित किये जावें एवं उक्त आशय के लिऐ अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित करें।

प्रार्थीया

दिनांक 15-5-19

नसीराबाद

गुलाबी

प्रमाणित प्रतिलिपि

तैयार कर्ता मुकाबला कर्ता उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.15 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested